भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3465
उत्तर देने की तारीख 24.03.2022
नकली खादी उत्पाद

3465. **श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:**
श्री धनुष एम. कुमारः
श्रीमती मंजुलता मंडलः
श्री जी. सेल्वमः
श्री गजानन कीर्तिकरः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री सी.एन. अन्नादुरईः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री गौतम सिगामणि पोनः
डॉ. डी. एन. सेंथिलकुमार एसः
श्री कुलदीप राय शर्माः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में कुछ खादी दुकानों द्वारा नकली/गैर-खादी उत्पादों की बिक्री की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा ऐसी खादी दुकानों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने नकली खादी उत्पादों के बाजार में निर्माण और बिक्री के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ङ) नकली खादी उत्पादों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(च) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में खादी उत्पादों का कुल घरेलू बाजार कितना है; और

(छ) देश में पारंपरिक खादी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी के नाम पर उत्पादों की बिक्री करने वाले कुछ अनधिकृत बिक्री केन्द्रों द्वारा नकली/गैर-खादी उत्पादों की बिक्री को बहुत गंभीरता से ले रहा है और ऐसी इकाइयों की बारीकी और निरंतर तलाश कर रहा है ताकि उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके।

(ख): जनवरी, 2022 तक, केवीआईसी ने खादी के नाम पर उत्पादों की अनधिकृत बिक्री में संलिप्त इकाइयों को 2172 नोटिस जारी किए हैं। लगभग 500 इकाइयों ने खादी ट्रेड मार्क के अनजाने में किए गए प्रयोग के लिए ने माफी मांगी है और उन्होंने अपने उत्पादों और वेबसाइटों से इसे हटा लिया है।

(ग): केवीआईसी ने नकली खादी उत्पादों के विनिर्माण और बाजार में बिक्री के प्रभाव के संबंध में अब तक कोई अध्ययन नहीं किया है।

(घ): केवीआईसी ने ट्रेड मार्क के उल्लंघन के लिए विभिन्न इकाइयों के विरूद्ध अब तक 9 मुकदमें दर्ज किए हैं और इनमें से अधिकतर मामलों में उल्लंघन के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई है। खादी के दुरूपयोग के विरूद्ध दर्ज किए गए न्यायिक मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

1. दिल्ली उच्च न्यायालय में निम्नलिखित के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गयाः
   - खादी एशेन्शियल्स, दिल्ली
   - आईवियरखादी, उत्तर प्रदेश
   - खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश
   - जेबीएमआर इंटरप्राइजेज-खादी प्राकृतिक पेंट, उत्तर प्रदेश
   - गिरधर खादी, हरियाणा
   - खादी बाइ हेरिटेज, दिल्ली

2. मुम्बई उच्च न्यायालय में निम्नलिखित के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गयाः
   - फैबइण्डिया, मुम्बई, महाराष्ट्र
   - इंडिया खादी फैशन, महाराष्ट्र
   - खादी स्टोर, पहनावा, महाराष्ट्र और राजस्थान

(ङ): केवीआईसी ने नकली खादी उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री पर रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. केवीआईसी ने श्रेणी 24 एवं 25 (वस्त्र और वस्त्र उत्पाद) सहित अधिकतर श्रेणियों के अंतर्गत वर्डमार्क ''खादी'' के लिए ट्रेड मार्क पंजीकरण प्राप्त कर लिया है।
2. केवीआईसी ने 7 ट्रेड मार्क परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है जो तृतीय पक्षों के द्वारा ट्रेड मार्क उल्लंघनों को सक्रियता से देख रहे हैं और अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को कानूनी नोटिस जारी कर रहे हैं।
3. केवीआईसी निरंतर आधार पर ई-कामर्स मंचों और सोशल मीडिया से नकली खादी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित लिंक को भी हटा रहा है। अब तक, केवीआईसी अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, वाट्सअप, यूट्यूब इत्यादि से 2487 लिंकों को पहले की हटा चुका है।
4. केवीआईसी अपने ट्रेडमार्क के भाग के रूप में ''खादी'' शब्द के साथ तृतीय पक्षों द्वारा दर्ज किए गए ट्रेड मार्कों के पंजीकरण के लिए आवेदनों का निरंतर विरोध कर रहा है। अब तक, केवीआईसी ने 162 विरोध दर्ज किए हैं।
5. केवीआईसी पहले से पंजीकृत तृतीय पक्षों के ट्रेड मार्क के निरस्तीकरण हेतु ट्रेड मार्क प्राधिकरणों के समक्ष परिशोधन आवेदन भी दर्ज कर रहा है जिसमें इसके ट्रेडमार्क के भाग के रूप में ''खादी'' शब्द शामिल है। अब तक, केवीआईसी पहले ही 43 परिशोधन आवेदन दर्ज कर चुका है।

(च): केवीआईसी द्वारा संवर्धित/सहायता प्राप्त खादी संस्थान खादी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री गतिविधियों में शामिल हैं और खादी कारीगरों और अन्य कार्यकर्ताओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खादी उत्पादों का उत्पादन और बिक्री निम्नलिखित हैः

(करोड़ रू. में)

वर्ष	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (31.12.2021 की स्थिति के अनुसार) अनंतिम**
खादी उत्पादन	1963.30	2324.24	1904.49	1809.86
खादी बिक्री	3215.13	4211.26	3527.71	3030.00

(छ) देश में परंपरागत खादी उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए केवीआईसी द्वारा उठाए गए/ उठाए जाने वाले कदम/पहलें **अनुबंध** में दी गई है।

*****

<u>अनुबंध</u>

<u>दिनांक 24.03.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3465 के भाग (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध</u>

देश में, परंपरागत खादी उत्पादों की बिक्री/खादी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा उठाए गए/ उठाए जाने वाले कदम/पहलें:

1. खादी क्षेत्र का संवर्धन करने के लिए, केवीआईसी प्रभावी डिजाइन, उत्पादन और भारतीय और वैश्विक बाजार में उच्च गुणवत्ता विभिन्नता वाले खादी उत्पादों के विपणन में खादी संस्थानों की सहायता के लिए निफ्ट दिल्ली (हब केन्द्र), निफ्ट, नई दिल्ली और गांधीनगर, कोलकाता, शिलाँग, बेंगलुरू में इसके चार स्पोक की तकनीकी सहायता से खादी उत्कृष्टता केन्द्र (सीओईके) की स्थापना कर रहा है।
2. खादी की बिक्री के साथ ही खादी संस्थानों के आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से घरेलू प्रदर्शनियां, विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। केवीआईसी उनके बिक्री केन्द्रों का नवीनीकरण न केवल आउटलेटों के स्वरूप को बेहतर बनाने बल्कि उनके बिक्री कार्यनिष्पादन को भी बेहतर करने के लिए विभिन्न स्कीमों के माध्यम से खादी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
3. केवीआईसी ने 17 देशों नामतः जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, मेक्सिको, मालदीव, म्यांमार, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, यूएई और भूटान में ट्रेड मार्क 'खादी' का पंजीकरण प्राप्त किया है। गल्फ देशों सहित विश्व के प्रमुख देशों में ट्रेड मार्क ''खादी'' और ''खादी इंडिया लोगो'' का पंजीकरण करने का भी निर्णय लिया गया है।
4. केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध कराने के लिए उनको प्रदर्शनियों के माध्यम से लोकप्रिय बना रहा है।
5. भारत सरकार ने निर्यात में 11 खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए केवीआईसी को एचएस कोड ब्रेकेट जारी किया है।
6. केवीआईसी, एमएसएमई मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न देशों में आईटीपीओ, एफआईईओ, टेक्सप्रेसिल और अन्य सरकारी निकायों के माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए अपनी केवीआई इकाइयों को ले जाता है। प्रदर्शनियां केवीआई उत्पादों की गुणवत्ता का प्रदर्शन करने के लिए एक अवसर और मजबूत मंच प्रदान करती हैं।
7. ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइसेक) स्कीम के अंतर्गत, खादी संस्थानों की आवश्यकता के अनुसार पूंजीगत व्यय के साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।
8. संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) स्कीम का उद्देश्य प्रभावी मूल्य निर्धारण के लिए खादी उत्पादों का बाजार सेग्मेंटेशन, घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने/आयोजित करने के लिए बाजार नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, बाजार मांग गुणवत्ता उत्पादों का सृजन, कारीगर/कार्यकर्ता अवसंरचना विकास आदि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।
9. 'खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम' स्कीम का उद्देश्य खादी कारीगरों को सहज और थकावट रहित काम करने के लिए पर्याप्त स्थान और अनुकूल परिवेश प्रदान करना है जिसमें केवीआईसी व्यक्तिगत और समूह वर्कशेड के निर्माण के लिए प्रति कारीगर क्रमशः 60,000 रू. और 40,000 रू. की राशि प्रदान कर रहा है।
10. केवीआईसी 'एसएंडटी कार्यक्रम' के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधि प्रदान कर रहा है।
11. केवीआईसी ने खादी उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकारी विभागों के थोक क्रेताओं जैसे कि रेलवे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अर्धसैनिक बलों, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार मंत्रालयों से समझौते किए हैं।
12. केवीआईसी ने अपने कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान (केएनएचपीआई), राजस्थान के माध्यम से खादी प्राकृतिक पेंट के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है और इच्छुक उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
13. केवीआईसी ने ऑनलाइन बिक्री मंचों e-khadiindia.com और khadiindia.gov.in के माध्यम से सभी केवीआई उत्पादों की बिक्री शुरू कर दी है जिसमें 3,300 से अधिक उत्पादों को पोर्टल पर रखा गया है।

14. खादी इंडिया में बांस की बोतलों, सैनिटरी नैपकिन, गाय के गोबर के साबुन की बिक्री शुरू की गई है।
15. ''खादी डिजाइनर जूतों'' का शुभारंभ किया गया और कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में केवीआईसी के प्रमुख शोरूम में उपलब्ध है।
16. केवीआईसी ने ग्राहकों को आकर्षित करने और खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए विभिन्न अवसरों/त्यौहारों पर गिफ्ट कूपनों, गिफ्ट बॉक्स और विशेष छूट को शुरू किया है।
17. खादी में नए डिज़ाइन शुरू करने के लिए, केवीआईसी ने ऑनलाइन आवेदनों, डिज़ाइनों का प्रस्तुतीकरण और स्केच आमंत्रित करके डिज़ाइनरों के लिए एक डिज़ाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया है।
18. केवीआईसी ने खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने और खादी के बने-बनाए वस्त्रों में प्रचलित डिज़ाइनों को शुरू करने के लिए रेमंड, अरविंद मिल्स और आदित्य बिड़ला ग्रुप जैसे कॉर्पोरेट्स से हाथ मिलाया है।
19. केवीआईसी ने नवम्बर, 2021 में नई दिल्ली, गाजियाबाद, पटना, जयपुर, गुवाहटी और अर्नाकुलम में 6 पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में राष्ट्रीय ध्वज बिक्री केन्द्रों का शुभारंभ किया है।